पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 मई, 2021 ई० (ज्येष्ठ 08, 1943 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

26 अप्रैल, 2021 ई०

सं० F-9(4)(V)/आरजी/यूईआरसी/2021/66 : विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 एवं 42 की उप–धारा 6 एवं 7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एतद्द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (ऑम्बड्समैन की नियुक्ति एवं कार्य क्षेत्र) विनियम, 2004 (प्रधान विनियम) में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :–

1 संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निर्वचन :

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (ऑम्बड्समैन की नियुक्ति एवं कार्य क्षेत्र) (पंचम संशोधन) विनियम, 2021 होगा।

(2) ये विनियम उत्तराखण्ड राज्य में ही लागू होगा।

(3) ये विनियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2 प्रधान विनियम के नियम–3 में उपनियम –6 निम्नानुसार प्रतिस्थापित होगा :

"व्यक्ति (यों) की ऑम्बड्समैन के रूप में अभिहिति या नियुक्ति अधिकतम तीन (03) वर्षों के लिए होगी।

बशर्ते आयोग द्वारा ऑम्बड्समैन का कार्यकाल 02 वर्ष हेतु विस्तारित किया जा सकता है। बशर्ते कि कोई व्यक्ति ऑम्बड्समैन के पद हेतु आयु 70 वर्ष के उपरान्त धारित नहीं होगा।"

आयोग के आदेश से,

नीरज सती,

सचिव,

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।